...ायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र /2021

शिवनारायण पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

————प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राज) ——अप्रार्थी

अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री शिवनारायण– प्रार्थी स्वयं

तहसीलदार केकड़ी–पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 10-03-2021

प्रार्थी शिवनारायण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार केकड़ी द्वारा की गयी। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट उनके पत्र कमांक/भू.अ./2020/1364 दिनांक 24.02.2021से इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है। प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे। जॉच रिपोर्ट के साथ पटवारी पटवार मण्डल गुलगॉव के द्वारा जॉच रिपोर्ट की गई जो संलग्न की है। जिसके मुताबिक ग्राम सांकरिया की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया–पुराना 534–516 किता 6 रकबा 1.80 है0 मे रामधन, रामनारायण,रामलाल पुत्र श्योनारायण,खाता संख्या नया–पुराना 744–709 खसरा नंबर 327 रकबा 0.6500 है0 में सोहनी पत्नि श्योनारायण, तथा खााता संख्या नया–पुराना 398–389 खसरा नंबर 444 रकबा 0.02 है0,मे सोनारायण पुत्र कल्याण, खाता संख्या नया–पुराना 274–264 किता 2 रकबा 0.04 है0 मे शोंनारायण पुत्र कल्याण,एवं खाता संख्या नया–पुराना किता 20 रकबा 10.00है0 मे सोनारायण पुत्र कल्याण दर्ज है। प्रार्थी का नाम संयुक्त खातेदारो के साथ श्योनारायण,सोनारायण,शोनारायण दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सभी दस्तावेज यथा राशन कार्ड,आधार कार्ड मे शिवनारायण पुत्र कल्याण दर्ज है। तहसीलदार केकडी ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार के स्थान पर श्योनारायण व सोनारायण के स्थान पर शिवनारायण किये जाने की अनुशंषा की है।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे श्योनारायण,शोनारायण,सोनारायण दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात यथा राशन कार्ड व आधार कार्ड मे शिवनारायण पुत्र कल्याण दर्ज है प्रार्थी श्योनारायण,शोनारायण सोनारायण के स्थान पर सम्मानजनक नाम शिवनारायण करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी की आराजीयात वाके ग्राम सॉकरिया की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया–पुराना 534–516,,744–709,398–389,274,397–388 मे दर्ज प्रार्थी के नाम श्योनारायण,सोनारायण,शोनारायण के साथ साथ फे शिवनारायण दर्ज किया जावे। बाकी इन्द्राज यथावत रहेगे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:19:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Scanned with CamScanner